न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–08 / 2021

1. श्री परशुराम पिता उंकारलाल जाति ब्राह्मण निवासी कारूण्डा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री संजय खिमेसरा – अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 08.07.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा कारूण्डा पटवार हल्का कारूण्डा प्रार्थी की आराजी संख्या 1035 / 2879 रकबा 0.19 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 1035 रकबा 1.80 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी में जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 1053 रकबा 0.22 हैक्ट0 किस्म विलानाम मेसे होकर रास्ता विस्तारित कराना चाहते है जोकि कदीमी रास्ता है। प्रार्थी की आराजी में पहुचनें के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया गया तो वों अपनी आराजी का उपभोग–उपयोग नहीं कर पायेगे अतः विपक्षीगण की 1053 रकबा 0.22 हैक्ट0 किस्म विलानाम मेंसे ट्रेक्टर बेलगाड़ी आदि ले जाने हेतु रास्ता कायम किया जावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सुचित किया गया । एवं वस्तुस्थिति जानने हेतु तहसीलदार छोटीसादड़ी से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें बताया गया कि प्रार्थी आराजी संख्या 1053 में कई वर्षो से आ–जा रहा हैं व उसका उपयोग रास्ते के रूप में कर रहा है जिसमें लघुतम मार्ग आराजी संख्या 982 एवं 980 में बताया गया है लेकिन कदीमी रास्ता आराजी संख्या 1053 में होकर है जिसकी लम्बाई 144 मीटर एवं चोडाई 06 मीटर रास्ते का कुल क्षे0 864 वर्ग मीटर

यानि कि 0.09 हैक्ट0 बनता है। उप पंजीयन शाखा से मौजा कारूण्डा की डी0 एल0 सी0 दर ली गई जो कि 9582 रूपये प्रति एआर है।

3. पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार छोटीसादड़ी की रिपोर्ट वास्ते कायमी रास्ता का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया साक्ष्य एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण की आराजी में जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी से जाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यदि प्रार्थीगण को रास्ते भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई तो तो उसकी खातेदारी की आराजीयात का उपयोग उपभोग नही कर पायेगा जिससे उसे भारी आर्थिक क्षति होना संभावित है इस प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट के लघुतम मार्ग के बजाए इस पूरानें उपयोग किये गये कदीमी रास्ते को दिया जाना उचित है उक्त तथ्यों को मद्धेनजर रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता देना न्यायोचित है।

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कारूण्डा पटवार हल्का कारूण्डा प्रार्थी की आराजी संख्या 1035/2879 रकबा 0.19 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 1035 रकबा 1.80 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी में जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 1053 रकबा 0.22 हैक्ट0 किस्म बिलानाम मेसे 6 मीटर चौडा एवं 144 मीटर लम्बा कुल 864 वर्ग मीटर यानि की न्युनतम 0.9 हैक्ट0 का रास्ता कायम किया जाता है तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से डी0 एल0 सी0 दर से उक्त क्षेत्रफल की राशि नियमानुसार 172476 रूपये बनती है जो कि प्रार्थी से वसूल की जाकर जरिये चालान जमा कराकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावें। इसी अनुसार नक्शे में तरमीम हो। तहसीलदार मौके पर जाकर पालना रिपोर्ट 20.07.2021 तक पेश करें।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़